सं०सं०–7 / उपकेन्द्र–14–01 / 2012– 10(7)9

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक : 20–4–2012

विषयः– मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–101– स्वास्थ्य उपकेन्द्र–0003–स्वास्थ्य उपकेन्द्र विपत्र कोड– N2210031010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹47,89,49,217/– (सैतालिस करोड़ नवासी लाख उनचास हजार दो सौ सत्रह) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष / उपशीर्ष / विपत्र कोड अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹47,89,49,217/– (सैतालिस करोड़ नवासी लाख उनचास हजार दो सौ सत्रह) मात्र का आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–101–स्वास्थ्य उपकेन्द्र–0003–स्वास्थ्य उपकेन्द्र विपत्र कोड– N2210031010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में कार्यरत बल के आधार पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को नियमित व्यय हेतु उप आवंटन एक मुश्त में करेगें। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग / स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

9. स्थायी पद के विरूद्ध नियुक्त कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

10. कई पदाधिकारियों / कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों / कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक / निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक / निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

19/4/2012.

E:\2012 2013 file\Budget\Chandr\Sub Centre.doc

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

11. वित्त विभागीय पत्रांक– 3833/वि0(2) दिनांक–02.04.2012 में निहित निदेश के आलोक में इस आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2011–12 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है।

12. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

19/4/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 10(7)9 पटना, दिनांक : 20-4-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

19/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बिहार स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11–01)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	14000000	9380000	1400000	238000	25018000	6000	25024000
2	भोजपुर (आरा)	6572000	4403240	657200	111724	11744164	6000	11750164
3	बक्सर	3979000	2665930	397900	67643	7110473	6000	7116473
4	कैमूर	3916000	2623720	391600	66572	6997892	6000	7003892
5	रोहतास	6993000	4685310	699300	118881	12496491	6000	12502491
6	नालन्दा	6594000	4417980	659400	112098	11783478	6000	11789478
7	गया	13160000	8817200	1316000	223720	23516920	6000	23522920
8	जहानाबाद	4651000	3116170	465100	79067	8311337	6000	8317337
9	नवादा	5502000	3686340	550200	93534	9832074	6000	9838074
10	वैशाली	5544000	3714480	554400	94248	9907128	6000	9913128
11	मुजफ्फरपुर	13364000	8953880	1336400	227188	23881468	6000	23887468
12	पश्चिमी चंपारण	12636000	8466120	1263600	214812	22580532	6000	22586532
13	पूर्वी चंपारण	12983000	8698610	1298300	220711	23200621	6000	23206621
14	सीतामढ़ी	8056000	5397520	805600	136952	14396072	6000	14402072
15	शिवहर	5848000	3918160	584800	99416	10450376	6000	10456376
16	सारण	9544000	6394480	954400	162248	17055128	6000	17061128
17	सिवान	13005000	8713350	1300500	221085	23239935	6000	23245935
18	गोपालगंज	8602000	5763340	860200	146234	15371774	6000	15377774
19	दरभंगा	7602000	5093340	760200	129234	13584774	6000	13590774
20	समस्तीपुर	10353000	6936510	1035300	176001	18500811	6000	18506811
21	पूर्णिया	6667000	4466890	666700	113339	11913929	6000	11919929
22	कटिहार	4704000	3151680	470400	79968	8406048	6000	8412048
23	मुंगेर	4704000	3151680	470400	79968	8406048	6000	8412048
24	लखीसराय	3600000	2412000	360000	61200	6433200	6000	6439200
25	शेखपुरा	3600000	2412000	360000	61200	6433200	6000	6439200
26	बेगुसराय	5985000	4009950	598500	101745	10695195	6000	10701195
27	जमुई	4704000	3151680	470400	79968	8406048	6000	8412048
28	खगड़िया	3800000	2546000	380000	64600	6790600	6000	6796600
29	भागलपुर	5880000	3939600	588000	99960	10507560	6000	10513560
30	बाँका	3800000	2546000	380000	64600	6790600	6000	6796600
31	सहरसा	5271000	3531570	527100	89607	9419277	6000	9425277
32	मधेपुरा	4620000	3095400	462000	78540	8255940	6000	8261940
33	सुपौल	5470000	3664900	547000	92990	9774890	6000	9780890
34	अरवल	3500000	2345000	350000	59500	6254500	6000	6260500
35	मधुबनी	10623000	7117410	1062300	180591	18983301	6000	18989301
36	किशनगंज	3800000	2546000	380000	64600	6790600	6000	6796600
37	औरंगाबाद	7770000	5205900	777000	132090	13884990	6000	13890990
38	अररिया	6489000	4347630	648900	110313	11595843	6000	11601843
	कुल	**267891000**	**179486970**	**26789100**	**4554147**	**478721217**	**228000**	**478949217**

(सैतालिस करोड़ नवासी लाख उनचास हजार दो सौ सत्रह) रू0 मात्र

19/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

10(7)a
–12

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवषेष राषि
1	2	3	4	5
1	वेतन (01–01)	330000000	267891000	62109000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	221100000	179486970	41613030
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	35700000	26789100	8910900
4	चिकित्सा भत्ता (01–06)	6360000	4554147	1805853
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**593160000**	**478721217**	**114438783**
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	1900000	0	1900000
6	यात्रा व्यय (11–01)	500000	228000	272000
7	विधि प्रभार (13–05)	1000	0	1000
8	किराया महसूल एवं कर (14–01)	1000	0	1000
9	अनुरक्षण एवं मरम्मत(27–02)	1000	0	1000
	कुल योगः–	**595563000**	**478949217**	**116613783**

10(7)9
20-4-12

19/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव